वादपत्र/प्रा पत्र/जवाबदावा/प्रकरण/बयान
उपस्थित/नाम गुरदीप सिंह
धारा 88-188 RTA 05/2020

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
पदमपुर (श्रीगंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस)

मु0न0 – 05/2020

1. कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 18 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 18 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

–वादीगण –

COMPARED BY ME

बनाम

1. गुरदीप सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 18 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर।

COMPARED BY ME

– प्रतिवादीगण–

<u>अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए</u>

–निर्णय–

दिनांक : 28/1/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 गुरदीप सिंह के नाम चक 18 बी बी तहसील पदमपुर में बरूए जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 का खाता सं0 11/12 के मुरबा नं0 48–49 में 1.826 है0 नहरी मय खाला, खाता सं0 26/26 के मुरबा नं0 50/6.325 है0 नहरी में से 5.288 है0 भूमि एवं चक 7 सी सी तहसील पदमपुर में बरूए जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 का खाता सं0 20216 के मुरबा नं0 52–53 में 3.607 है0 नहरी भूमि, खाता सं0 55/47 के मुरबा नं0 52–53 में 1.077 है0 नहरी भूमि इस प्रकार दोनों चकों में कुल 11.798 है0 नहरी मय खाला भूमि दर्ज कागजात राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि में से चक 18 बी बी के मुरबा नं0 50 की 5.288 है0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 गुरदीप सिह को विरास्तन प्राप्त हुई है। वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 की उक्त भूमि संयुक्त परिवार की विरास्तन सम्पति है। जिसमें वादीगण जन्म से ही हिस्सेदार है। वादीगण विरास्तन सम्पति में से अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1 ने हिस्सा स्वरूप उक्त सम्पति में कुछ हिस्सा खाता सं0 26/26 के मुरबा नं0 50/6.325 है0 नहरी में से अपनी 5.288 है0 भूमि में से वादी कुलविन्द्र सिंह को 1.518 है0 व वादी राजविन्द्र सिंह को 1.518 है0 भूमि काश्त के लिए दे रखी है। वादीगण

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

सत्य प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
पदमपुर (श्रीगंगानगर)

उक्त भूमि का खातेदार मालिक घोषित होने के अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। उक्त सम्पति संयुक्त परिवार की विरास्तन सम्पति है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 को उक्त अनुसार भूमि अपने नाम करवाने हेतु कहा तो उसने इन्कार कर दिया जो यही वाद का कारण है। उक्त सम्पति जो कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से है। प्रतिवादी ने उक्त सम्पति को अन्यत्र किसी को बेचान कर दिया तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावें:—

COMPARED BY ME

(क) चक 18 बी बी तहसील पदमपुर में बरूए जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 का खाता सं0 26/26 के मुरबा नं0 50/6.325 है0 नहरी में से अपनी 5.288 है0 भूमि में से वादी कुलविन्द्र सिंह को 1.518 है0 व वादी राजविन्द्र सिंह को 1.518 है0 का खातेदार मालिक घोषित किया जावें।

(ख) प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रतिवादी उक्त भूमि को अन्यत्र रहन बैय करने से बाज व ममनू रहें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से श्री सुभाष किनरा अधिवक्ता उपस्थित आकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में वादीगण ने चक 18 बी बी तहसील पदमपुर मे बरूए जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 का खाता सं0 26/26 के मुरबा नं0 50/6.325 है0 नहरी में से पिता गुरदीप सिंह के नाम की 5.288 है0 भूमि में से वादी कुलविन्द्र सिंह को 1.518 है0 व वादी राजविन्द्र सिंह को 1.518 है0 का खातेदार मालिक घोषित होने का अनुतोष चाहा हैं। प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पंचायत द्वारा राजीनाम करवा दिया है। अब मिकरान का आपस में कोई विवाद नहीं है। राजीनामा अनुसार यदि उक्त वाद पत्र डिक्री कर दिया जावें तो हम सभी सहमत है। राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री फरमाया जावें।

(...ाष कुमार)
...ण्ड अधिकारी
...दमपुर (राज0)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण में राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र

Scanned by CamScanner

राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसील पदमपुर के चक 18 बी बी की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 का खाता सं0 26/26 के मुरबा नं0 50/6.325 है0 नहरी में से प्रतिवादी सं0 1 गुरदीप सिंह के नाम की 5.288 है0 भूमि में से वादी सं0 1 कुलविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख का 1.518 है0 नहरी भूमि व वादी सं0 2 राजविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख का 1.518 है0 नहरी भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाता है। यदि उक्त भूमि बैंक में रहन दर्ज हो तो खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्से में बदलाव की स्थिति में बैंक से एनओसी जारी होने के बाद निर्णय की पालना की जावे। खातेदारान के हक हिस्से में बदलाव न होने की दशा में संबंधित खातेदार के खाते में बैंक का रहन यथावत दर्ज रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

COMPARED BY ME

निर्णय आज दिनांक 28/1/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2020.02.04 15:20:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: